JTL Infra Limited

Regd. & Corp. Off.: S.C.O. 18-19, Sector 28-C,
Chandigarh-160 002, INDIA
Tel.: +91 172 4668 000, Toll Free : 18008891120
E-mail : info@jtlinfra.com, Website: www.jtlinfra.com
CIN No.: L27106CH1991PLC011536

JTLIL/CHD/SE/2021-22/042

Date: 14th October, 2021

Corporate Relationship Services,
BSE Limited,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

BSE Scrip Code: 534600

Corporate Relationship Services,
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd,
4th Floor, Vibgyor Tower,
Opposite Trident Hotel,
Bandra- Kurla Complex,
Mumbai 400 098

MSEI Symbol: JTLINFRA

Subject: Publication of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2021 published in newspapers - The Financial Express (English) on 13th October, 2021 and Jansatta (Hindi) on 14th October, 2021.

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking You,
Yours Sincerely,

for JTL Infra Limited

Mohinder Singh
Company Secretary

JTL Infra Limited ★ SCO 18-19, Sector 28-C, Chandigarh ★

Unit - I : Gholu Majra, Derabassi, Chd.-Ambala Highway, Distt. Mohali, Punjab - 140 506 (India), Tel.: +91-77173 02250
Unit - II : Vill. Koste Budruk, Post Nizampur, Taluka Mangaon, Raigad - 402120, Maharashtra (India), Tel.: +91-77173 02251
Unit - III : Jagan Road, Backside Aggarwal Bhawan, Sirhind Side, Mandi Gobindgarh-147301 (India), Tel.: +91-77173 02252

P&K FERTILISERS SUBSIDY

Cabinet okays ₹28,655 cr for rabi season to benefit farmers

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 12

THE GOVERNMENT ON Tuesday announced a net subsidy of ₹28,655 crore on phosphatic and potassic (P&K) fertilisers to ensure that farmers get nutrients at affordable prices during the rabi sowing season.

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for P&K fertilisers for October 2021 to March 2022 period. Rabi (winter-sown) season starts in October.

Under the NBS, the per kg subsidy rates of N (nitrogen) has been fixed at ₹18.789, P (phosphorus) ₹45.323, K (potash) ₹10.116 and S (sulphur) ₹2.374, according to an official statement. The government said the "total amount of rollover will be ₹28,602 crore".

It has also provided a special one-time package for additional subsidy on DAP at the tentative additional cost of ₹5,716 crore.

A special one-time package for additional subsidy on three most consumed NPKs grades viz NPK 10-26-26, NPK 20-20-0-13 and NPK 12-32-16 have been provided at ₹837 crore cost.

The total subsidy required will be ₹35,115 crore, the statement said. The CCEA also approved the inclusion of potash derived from molasses (0:0:14.5:0) under the NBS Scheme.

"Net subsidy required for Rabi 2021-22 after deducting savings will be ₹28,655 crore," as per the statement.

In June also, the CCEA had raised the subsidies for DAP and some other non-urea fertilisers by ₹14,775 crore.

The government had allocated nearly ₹79,600 crore for fertiliser subsidies in the 2021-22 Budget and the figures could rise after the provisions of additional subsidies.

Listing the benefits, the government on Tuesday said the additional subsidy would enable the smooth availability of all P&K fertilisers to the farmers during Rabi Season 2021-22 at subsidised/affordable prices.

The Centre is supporting farmers and the agricultural sector by continuing the present subsidy levels and giving special packages of additional subsidies for DAP and three mostly consumed NPK grades.

"It will give ₹438 per bag benefit on Di-Ammonium Phosphate (DAP) and ₹100 per bag benefit each on NPK 10-26-26, NPK 20-20-0-13 & NPK 12-32-16 so as to maintain prices of these fertilisers affordable to the farmers," the statement said.

In June, the government had increased the subsidy on DAP by 140% to ₹1,200 per bag (of 50 kg each) to ensure that farmers continue to get this important fertiliser at an affordable rate despite the rise in global prices.

The government is making available fertilisers, namely urea and 24 grades of P&K fertilisers to farmers at subsidised prices through manufacturers/ importers.

The subsidy on P&K fertilisers is being governed by NBS Scheme with effect from April 2010.

In the case of urea, the Centre has fixed the maximum retail prices and reimburses the difference between the MRP and production cost in form of subsidy.

India pitches for IPR waiver in WTO, dismantling trade barriers

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 12

COMMERCE AND INDUSTRY MINISTER Piyush Goyal on Tuesday called for waiver of Intellectual Property Rights (IPR) in World Trade Organisation (WTO) and dismantling new trade barriers in the global fight against Covid-19.

In October 2020, India and South Africa had submitted the first proposal, suggesting a waiver for all WTO members on the implementation of certain provisions of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement in relation to the prevention, containment or treatment of Covid-19.

In May this year, a revised proposal was submitted by 62 co-sponsors, including India, South Africa, and Indonesia.

The agreement on TRIP came into effect in January 1995. It is a multilateral agreement on intellectual property (IP) rights such as copyright, industrial designs, patents and protection of undisclosed information or trade secrets.

"Our response to the pandemic needs to ensure equitable access to vaccines and other Covid-19 related health products by ensuring quick resolution of the supply side constraints. One of the ways to demonstrate this is by accepting the TRIPS waiver proposal," Goyal said, in his address to the G20 Trade and Investment Ministerial Meeting in Naples, Italy.

He also pitched for actively resolving new trade barriers like vaccine differentiations or Covid passports, which impose mobility restrictions and impede the movement of personnel needed for delivering critical services.

"Covid-19 crisis is a powerful reminder of our inter-connectedness, and the need for a coordinated global strategy to overcome such an unprecedented public health situation," he said.

The minister also said that besides focusing on facilitating free flow of goods, G20 countries should make health services accessible and more affordable by the citizens of the world by enabling free flow of health services.

Commenting on the ongoing talks in WTO about fisheries subsidies, Goyal said countries engaged in distant water fishing should stop subsidizing their fishing in high seas and gradually reduce their fishing capacities, particularly, for overfished stocks.

"To achieve balanced outcomes in fisheries subsidies, policy space for the future is a must, not only to protect the livelihoods of poor and marginal fishermen and address the food security concerns but also to diversify, modernise and develop the fisheries sector," he said.

Concor strategic sale not taking place this fiscal, says Dipam secy

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 12

THE STRATEGIC SALE of Container Corporation of India (Concor) is not happening in the current fiscal as the railway land usage policy is yet to be finalised, a senior official said.

Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) Secretary Tuhin Kanta Pandey said it takes about a year from the date of issue of Expression of Interest (EoI) for the conclusion of any strategic sale.

For Concor, the post privatisation rail land usage policy is yet to be finalised by the Ministry of Railways and hence the EoI could not be issued.

"Container Corp is not happening this year. From expression of interest to conclusion, it takes about nine months to one year. We were hoping that the expression of interest will be issued but that is linked to the land policy. As soon as we resolve that, we will move forward," Pandey told *PTI*.

EC puts five certification agencies in India on notice

FE BUREAU
New Delhi, October 12

THE EUROPEAN COMMISSION (EC) has put five certification agencies in India on notice after finding traces of a chemical, more than its permissible limit and even in organic sesame seeds exported from the country.

In a draft notification issued October 5, the European Commission has mentioned that CU Inspections India, Ecocert India, Indian Organic Certification Agency (Indocert), Lacon Quality Certifications and OneCert International should be taken off from the list of agencies as approved by India. When this draft notification becomes operational, any organic products certified by these agencies in India may not be accepted in Europe.

This draft has not been adopted or endorsed by the Commission yet as these are its preliminary views and may not be regarded as an official position of the EC.

This draft has not been adopted or endorsed by the Commission yet as these are its preliminary views and may not be regarded as an official position of the EC

A large number of consignments of thousands of tons of allegedly organic sesame seed contaminated with ethylene oxide (ETO) have been imported from India since October 2020, it claimed in the notification. India's sesamum seed (including organic) export to the EU had dropped 47% to $71 million (₹531 crore) in FY21. In volume terms, the fall was 38% at 43,835 tonne.

There were about 90 incidents of a consignment of sesame seeds getting rejected due to detection of ETO which were also captured in EU's internal Organic Farming Information System, industry experts said. ETO is a carcinogen for humans and levels of contamination varied depending on the consignment.

Meanwhile, the accreditation committee of US-based IOAS has withdrawn the accreditation of OneCert International about organic textile. The agency has given time to India's certification company till November 5 to file an appeal against its decision and also inform by October 22 if it wants to appeal.

"The proposed action may further strengthen India's organic programme. The export of organic will not face any problem as we have 28 certification agencies. India needs to re-invent its organic brand and rejuvenate this sector through policy innovation," said S Chandrasekaran, a trade policy analyst.

India's total exports of organic products were at 8.88 lakh tonne worth $1.04 billion in FY21.

Cartelisation: CCI directs 8 MSMEs to cease, desist from unfair biz practices

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 12

COMPETITION COMMISSION OF India (CCI) on Tuesday directed eight MSMEs to cease and desist from unfair business practices after finding them indulging in bid rigging and cartelisation.

The case, which pertained to the supply of axle bearings to Eastern Railway, was taken up by the regulator on the basis of a reference filed on behalf of the Eastern Railway.

The watchdog found the eight firms indulged in cartelisation in the supply of axle bearings by means of directly or indirectly determining prices, allocating tenders, coordinating bid prices and manipulating the bidding process.

These firms are Chandra Brothers, Chandra Udyog, Sriguru Melters & Engineers, Rama Engineering Works, Krishna Engineering Works, Janardan Engineering Industries, V. K. Engineering Industries and Jai Bharat Industries.

"The Commission holds that OP-1 to OP-8 have contravened the provisions of Section 3(1) of the Act read with Section 3(3)," it said in an order.

OPs or Opposite Parties are the firms. The Act refers to the Competition Act, 2002, and Section 3 pertains to anti-competitive agreements.

In the order, the regulator noted that e-mails exchanged showed that the firms discussed quantity allocation with respect to the tenders of Indian Railways for the procurement of axle bearings, amongst themselves. The vendors were also found to have discussed the compensation mechanism in the event that some of them did not win the agreed quantities, it added.

However, CCI decided not to impose monetary penalties on the firms after taking into consideration certain aspects, including that the firms were MSMEs with limited staff and turnover.

The cooperative and non-adversarial approach adopted by the firms in acknowledging their involvement as well as the economic stress wrought upon the MSME sector in the wake of Covid were also taken into account while deciding against imposing penalties.

Govt accords 'Maharatna' status to Power Finance Corporation

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 12

THE GOVERNMENT HAS accorded the 'Maharatna' status to state-owned Power Finance Corporation (PFC), a move that will pave the way for the company's greater financial and operational efficiency, according to a company statement.

"Government of India accorded the prestigious 'Maharatna' status to state-owned Power Finance Corporation (PFC), thus giving PFC greater operational and financial autonomy," the company said in the statement.

An order to this effect was issued on Tuesday by the Department of Public Enterprises, under the Ministry of Finance.

The grant of 'Maharatna' status to PFC will impart enhanced powers to PFC's board while taking financial decisions.

The Board of a 'Maharatna' CPSE can make equity investments to undertake financial JVs & wholly-owned subsidiaries and undertake mergers and acquisitions in India and abroad

The Board of a 'Maharatna' CPSE can make equity investments to undertake financial joint ventures and wholly-owned subsidiaries and undertake mergers and acquisitions in India and abroad, subject to a ceiling of 15% of the networth of the concerned CPSE, limited to ₹5,000 crore in one project.

The board can also structure and implement schemes relating to personnel and human resource management and training. They can also enter into technology joint ventures or other strategic alliances.

Union Power and New & Renewable Energy Minister R K Singh congratulated and remarked that the "conferment of the 'Maharatna' status is the reflection of the government's confidence on PFC's strategic role in the overall development of the power sector and an endorsement of its sterling performance."

He added that this new recognition will enable PFC to offer competitive financing for the power sector, which will go a long way in making available affordable and reliable 'Power For All 24x7'.

PFC chairman and managing director R S Dhillon said in the statement that PFC has received the 'Maharatna' status because of its exceptional financial performance during the past three years.

Bank FD to fetch negative real interest with elevated inflation

SENIOR CITIZENS AND others depending upon income from bank fixed deposit (FD) schemes will be at the receiving end with the retail inflation exceeding the interest rates.

At this level, the fixed deposit for one year with the country's largest lender SBI would rather earn negative interest. The real interest rate would be (-) 0.3% for the saver.

Real rate of interest is card rate minus inflation rate. The retail inflation for August stood at 5.3%.

Even for higher tenure 2-3 years, the interest rate earned is 5.1% lower than expected inflation for the current fiscal.

—PTI

Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2021

(₹ in Lakhs except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30-Sep-21 Unaudited	30-Jun-21 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited
1	Total Revenue from Operations	26,322.78	18,089.19	8,038.80	44,411.97	13,218.05	44,036.86
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,793.71	1,075.89	383.74	2,869.60	551.15	2,702.73
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,793.71	1,075.89	383.74	2,869.60	551.15	2,702.73
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,295.17	805.11	287.16	2,100.28	412.41	2,006.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,295.26	805.11	287.16	2,100.37	412.41	2,005.98
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10 each)	1,060.74	1,060.74	1,000.74	1,060.74	1,000.74	1,060.74
7	Reserves (excluding Revolution Reserves)	-	-	-	-	-	8,629.78
8	Earnings per Equity Share of Rs. 10 each						
	Basic in Rs.	12.21	7.59	2.71	19.80	3.89	18.91
	Diluted in Rs.	12.21	7.59	2.71	19.80	3.89	18.91

Notes:
The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly unaudited financial results of September 30, 2021 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regultations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on Stock Exchange website at www.bseindia.com, www.msei.in and Company's website at www.jtlinfra.com

for JTL Infra Limited
Sd/-
Dhruv Singla
Whole Time Director and CFO
DIN: 02837754

Place: Chandigarh
Date : October 12, 2021

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम)
(A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)
पंजीकृत केन्द्र और निवेशक संबंध केन्द्र: कॉनकॉर भवन, सी–3, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110076
सीआईएन : L63011DL1988GOI030915, ई–मेल : investorrelations@concorindia.com
टेली नं.: 4122 2500/600 वेबसाइट : http://www.concorindia.co.in

कॉनकॉर CONCOR

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **21 अक्टूबर, 2021** को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं अवधि के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए शेयरधारकों हेतु अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा की जाएगी।

इसके अलावा, सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015, यथा संशोधित के संदर्भ में सभी पदनामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदार के लिए कम्पनी के इक्विटी शेयरों के लेनदेन हेतु ट्रेडिंग विन्डो 1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, अर्थात् बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com)** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(www.nseindia.com)** के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कृते
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की ओर से
हस्ता./–
कार्यकारी निदेशक (वित्त) एवं सीएस

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.10.2021

INTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITED

Registered Office: - 1104, A Wing, Naman Midtown, 11th Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai, Mumbai City MH 400013

Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

This Advertisement is being issued by D & A Financial Services (P) Limited (the "**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer (s), namely, M/s Amfine Capital Management (P) Limited, Mr. Anubhav Dham and Ms. Anamika Dham pursuant to Regulation 18 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, in respect of the open offer to acquire shares of Intellivate Capital Ventures Limited **("ICVL"/ "Target Company")**. The Detailed Public Statement ("**DPS**") with respect to the aforementioned offer was published on Friday, 3rd September, 2021, in Financial Express (English-All Editions), Jansatta (Hindi-All Editions), Lakshadweep (Marathi) Mumbai edition.

1. Offer Price is Rupees 2.00 (Rupees Two Only) per equity share of face value of Rs. 1/- each.
2. Committee of Independent Directors (Hereinafter referred to as "**IDCs**") of the Target Company recommends that the open offer price of Rupees 2.00 per fully paid up equity shares is fair and reasonable based on the following reasons:
   a. The Offer Price is higher than the price as arrived by taking into account valuation parameters including, book value, Profit Earning Capacity Value, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies, which comes to Rupees 1.83 per share.
      The IDC's recommendation was published on 13th October, 2021 (Wednesday) in the same newspapers where Detailed Public Statement was published.
3. This Offer is not a Competing Offer.
4. The Letter of Offer dated 04th October, 2021 has been dispatched to the shareholders on or before Friday, 8th October, 2021.
5. A Copy of the Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) during the offer period and shareholders can also apply by downloading such forms from the website. Further, in case of non-receipt/ non-availability of the form of acceptance, the application can be made on plain paper along with the following details:
   Name(s) & Address(es) of Joint Holder(s) (if any), Number of Shares held, Number of Shares tendered, Distinctive Numbers, Folio Number, Original share Certificate(s) and duly signed share transfer form(s).
6. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 08th September, 2021. All the observations made by SEBI vide letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-1/P/OW/2021/26244/1 dated 29th September, 2021 has been incorporated in the Letter of Offer.
7. There have been no material changes in relation to the Open Offer since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the DPS, Corrigendum to DPS and the Letter of Offer.
8. The registered office of the acquirer M/s Amfine Capital Management (P) Limited have been changed from DSC 120, Plot No. A1, Saket District Centre, New Delhi - 110017 to 368-369, Ist Floor, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi - 110030.
9. **Schedule of Activities:**

S. No	Activity	Original Schedule Days & Dates	Revised Schedule Days & Dates
1.	**Date of Public Announcement**	**Friday, August 27, 2021**	**Friday, August 27, 2021**
2	Date of publication of detailed public statement	Friday, September 03, 2021	Friday, September 03, 2021
3.	Filing of the draft Letter of Offer to SEBI	Monday, September 13, 2021	Monday, September 13, 2021
4.	Last date for a competitive offer(s)	Monday, September 27, 2021	Monday, September 27, 2021
5.	**Identified Date***	**Wednesday, October 06, 2021**	**Friday, October 01, 2021**
6.	Date by which final Letter of Offer will be dispatched to the Public Shareholders	Wednesday, October 13, 2021	Friday, October 08, 2021
7.	**Last date for revising the Offer Price/ number of shares.**	**Monday, October 18, 2021**	**Tuesday, October 12, 2021**
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Wednesday, October 20, 2021	Wednesday, October 13, 2021
9.	**Date of Publication of Offer Opening Public Announcement**	**Thursday, October 21, 2021**	**Thursday, October 14, 2021**
10.	**Date of commencement of Tendering Period (Offer opening date)**	**Friday, October 22, 2021**	**Monday, October 18, 2021**
11.	**Date of Expiry of Tendering Period (Offer closing date)**	**Tuesday, November 09, 2021**	**Monday, November 01, 2021**
12.	Last Date of communicating rejection / acceptance and payment of consideration for applications accepted / return of unaccepted share certificates / credit of unaccepted equity shares to demat account.	Wednesday, November 24, 2021	Wednesday, November 17, 2021

**The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.*

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement and also shall be jointly or severally responsible for the fulfillment of the obligations under the Offer and as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.

This Pre Issue Advertisement will also be available on **SEBI's website at www.sebi.gov.in**.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

D&A

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.
Tel: (011) 26472557, 26419079, 26218274 Fax: (011) 26219491
E- mail : investors@dnafinserv.com
Contact Person: **Mr. Priyaranjan**

Date : 13.10.2021
Place: New Delhi

एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड
(पूर्व में एआरटी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस (भारत) लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
शाखा कार्यालयः 49, उद्योग विहार फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा 122015

ART HOUSING FINANCE

परिशिष्ट-IV {नियम 8(1) देखें}
कब्जे की सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरी **एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते [सीआईएन नं- **U65999DL2013PLC255432**] वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के तहत और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04-06-2020 को एक मांग नोटिस जारी किया। 2021 ऋण खाता संख्या **LNYNR03618-190005686** के लिए उधारकर्ता(ओं) **दीपक त्यागी और दीपा त्यागी** को नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए जो **रु 13,26,522/(रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार पांच सौ बाईस मात्र)** 16-05-2021 और उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उस पर ब्याज की स्थिति के अनुसार।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 09-10-2021 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम तौर पर जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा जो रुपये **13,26,522/(रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार पांच सौ बाईस मात्र)** 16-05-2021 की स्थिति के अनुसार और उस पर ब्याज की राशि के लिए होगा।

सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होने के नाते, माप 07-50 मारलास आई-ई- 223 वर्ग यार्ड, खेवट नं- 38, खतौनी नं- 41, खसरा नं- 21/1 (2-7), 10/1 (2-16) 15/206 होने के नाते 05 कनाल 03 मारलास में से, एमओयू जेए जोरियन, एच-बी- न- 469, यमुरिया नगर, तहसील-जागधरी, जिला-यमुना नगर, हरियाणा जो निम्नानुसार सीमाबद्ध है:

पूर्वः 50'1-ममतादेवी की संपत्ति — पश्चिमः 50'-1'-मार्ग
उत्तरः 40'1''-राधीर सिंह की संपत्ति — दक्षिणः 40'1''-पैसेज

दिनांकः 09-10-2021
स्थानः यमुना नगर, हरियाणा

अधिकृत अधिकारी
एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन नोटिस ओ0ए0 संख्या 158 / 2021

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय–समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 555 — **दिनांकः 07.10.2021**

पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स ताज कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स एवं अन्य

सेवा में,
1. मैसर्स ताज कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, पंजीकृत कार्यालय ग्राम शाहपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार–247661, उत्तराखंड
2. श्रीमती फरनाहिद पत्नी श्री अहतशाम अली, निवासी 244, ग्राम शाहपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार–247661, उत्तराखंड
3. श्री अहतशाम अली पुत्र स्वर्गीय सगीर अहमद, निवासी 244, ग्राम शाहपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार–247661

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध **रू. 90,28,417.18** की वसूली हेतु **ओ0ए0 सं0 158 / 2021** संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **07.10.2021** को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 **06.12.2021** को स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ0ए0 में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट ऑफ, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार (आई / सी), ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन नोटिस ओ0ए0 संख्या 159 / 2021

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय–समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 556 — **दिनांकः 07.10.2021**

पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स एस.एस. इण्टरप्राइजेज एवं अन्य

सेवा में,
1. मैसर्स एस.एस. इंटरप्राइजेज, 20–21, सगीर कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार–247661, उत्तराखंड
2. मो. सलमान पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी 244, ग्राम शाहपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार–247661, उत्तराखंड
3. श्री अहतशाम अली पुत्र स्व. सगीर अहमद, निवासी 244, ग्राम शाहपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार–247661
4. श्रीमती फरनाहिद पत्नी श्री अहतशाम अली, निवासी 244, ग्राम शाहपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार–247661

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध **रू. 88,24,668.22** की वसूली हेतु **ओ0ए0 सं0 159 / 2021** संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **07.10.2021** को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 **06.12.2021** को स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ0ए0 में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट ऑफ, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार (आई / सी), ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रुज (ई) मुंबई –400098

कब्जा सूचना

जबकि, **मैसर्स फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)** के अधिकृत अधिकारी की ओर से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 13(2) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमावली 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी, सहऋणी / गारंटर को उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था। ऋणी, सहऋणी / गारंटर द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी, सहऋणी / गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4), सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा साथ में उल्लिखित तिथि को ले लिया है। ऋणी / गारंटर को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपतित में किया गया कोई भी लेन–देन **मैसर्स फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)** व इस से आगे के ब्याज, लागत, व्यय और अन्य शुल्कों के अधीन होगा। ऋणी, सहऋणी / गारंटर, बंधक संपत्तियां, ट्रस्ट का नाम, बकाया देय राशि, धारा 13 (2) के तहत भेजे गए मांग सूचना और दावा की गई गयी राशि विवरण निम्नानुसार हैं:

ऋणी का नाम और पता, सह–ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	प्रतिभूतियों का विवरण	1. भौतिक कब्जे की तिथि 2. डिमांड नोटिस की तारीख 3. देय राशि रु.
श्री हिमांशु जैन पुत्र श्री विनोद जैन और श्रीमती रविता जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन और श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री नियादर्मल जैन और श्री तरुण कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार सभी यहाँ परः हाउस नंबर– 1 / 6117 (पुराना 1333), पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 18 और 19, पूर्वी रोहताश नगर, रघुनाथ मंदिर के पास, दिल्ली – 110032, **इसके अलावाः** निवासी बी 32, विजय विहार, फेज 1, रोहिणी, रिठाला, दिल्ली 110085. **ऋण खाता संख्याः** PR00304111, PR00309665 और PR00398610 **स्वीकृत कुल ऋण राशिः** रु. 39,25,000 / – (रूपये उनतालिस लाख पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का सभी भाग व अंश, जिसमें उत्तर मुखी पहली मंजिल, जिसका क्षेत्रफल 110 वर्ग गज है यानी लगभग 91.97 वर्ग मीटर, छत के स्तर तक, कॉमन प्रवेश के साथ, लिफ्ट (एलीवेटर) पैसेज और भूतल से सबसे ऊपरी मंजिल तक सीढ़ियां, सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के अधिकार के साथ टीवी एंटेना और वॉटर टैंक के रखरखाव के लिए, स्टिल्ट पर कॉमन कार पार्किंग के साथ भूतल, नीचे की भूमि के अविभाजित आयात योग्य अनुपातिक हिस्से के साथ, और भवन में सामान्य सुविधा, निर्मित संपत्ति का एक हिस्सा, पुराना नंबर 1333, नया नंबर 1 / 6117, बेयरिंग प्लॉट नंबर 18–19, में से खसरा नंबर 1594 / 371 और 1603 / 372, बंसी ब्लॉक, पूर्वी रोहताश नगर की आबादी में, ग्राम सिकदरपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली –110032 के क्षेत्र में स्थित है, और निम्नानुसार हैरु पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः अन्य की संपत्ति, उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य की संपत्ति। **बंधककर्ता का नामः** श्रीमती रविता जैन पत्नी श्री विनोद कुमार जैन।	1) 08.10.2021 2) 04.03.2021 3) रुपये 46,21,677 / – (रूपये छियालीस लाख इक्कीस हजार छह सौ सत्तर सात मात्र) देय और 05.03.2021 से लागू ब्याज के साथ और 04.03.2021 तक देय, जब तक कि भुगतान पूर्ण नहीं हो जाता।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402) और श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436) से संपर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली, दिनांक 08.10.2021 — अधिकृत अधिकारीः फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

---

varthana

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व का मैसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : नंबर 5बीसी-110, वरसिद्धि, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कैयान नगर, बैंगलोर-560043, वेबसाइट www.varthana.com, ई-मेल : care@varthana.com, फोनः 080-68455777, शाखा कार्यालय : ब्लॉक 57, यूनिट नंबर-14, 2सरी मंजिल, कावेरी सेंटर, (लैंड मार्क टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग) संजय प्लेस, आगरा-282002।

मांग सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन द्वारा यथासंशोधित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (21) एवं ऋण वसूली कानूनों तथा मिश्रित प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) तथा आगे संशोधित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 2018 के तहत सूचना।

हम, मैसर्स. वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए कंपनी के रूप में संदर्भित और पूर्व के मेसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी निगमित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय बंगलौर में उपरोक्त पते में उल्लिखित है, और आगरा में इसकी एक शाखा (इसके बाद ''शाखा'' के रूप में संदर्भित) है, एतद्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत आपको आवेदक/सह-आवेदक और बंधककर्ता होने के नाते बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित नोटिस जारी करते हैं। चूंकि प्रदत्त पते पर सूचनाएँ तामील नहीं हो सकीं अतः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित नियम 3(1) की धारा 13(2) के अनुसार सूचना की तामील के लिए आवेदक एवं सह-आवेदक सं. 1 एवं 2 को वैकल्पिक तामील के माध्यम से दिनांक 26.08.2021 को जारी मांग सूचना की विषय-वस्तु यहां प्रकाशित की जा रही है।

आपने स्कूल के लिए क्रेडिट सुविधा के लिए हमारी आगरा शाखा से संपर्क किया था और तदनुसार एक आवेदन किया था। कंपनी ने आपके अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी दी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण खाता संख्याः S18AGR-AGR-000725, स्वीकृत ऋण राशिः रु. 20,31,350/-, 26.08.2021 को कुल देयताः रु. 25,19,076/-, आवेदक और सह-आवेदकों के नाम और पतेः 1) चौधरी बलवंत सिंह महाविद्यालय, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) चौधरी बलवंत सिंह जनकल्याण शिक्षा संस्थान ट्रस्ट, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, नंबर 1 और 2 का कार्यालय असरवाली, शेखोबाद, उत्तर प्रदेश -205141 में है। 3) पंकज कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, अरादी फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-205141, 4) अलका यादव पत्नी पंकज कुमार, असरोली हरथा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-205141।

आप नं. 1-4 आवेदक/सह-आवेदक हैं जिन्होंने उक्त ऋण समझौते के तहत देय बकाया और देय राशि के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा दस्तावेजों को निष्पादित किया है।

कंपनी के प्रबंधक/संग्रहण प्रबंधक और अन्य अधिकारियों ने आप सभी से बकाया राशि का भुगतान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आपको समय-समय पर बार-बार अनुरोध किया है कि खाता गैर-निष्पादित संपत्ति न बने, लेकिन आप जानबूझकर और अनुचित रूप से भुगतान करने में विफल रहे और असंख्य अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया और परिणामस्वरूप, उपर्युक्त खाते को 13.12.2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बंधक द्वारा विधिवत निष्पादित दस्तावेजों के आधार पर, कंपनी के पक्ष में नीचे उल्लिखित प्रतिभूति पर प्रभार बनाया गया है। कंपनी एतद्वारा आप सभी को सूचित करती है कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 की उप-धारा (13) के तहत, आपको इस सूचना की प्राप्ति के बाद बिक्री, पट्टे या अन्यथा कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, नीचे दी गई किसी भी प्रतिभूत संपत्ति में तीसरे पक्ष के हित को बिक्री, पट्टे के माध्यम से स्थानांतरित करने से बचना होगा। प्रतिभूत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदक/सह-आवेदक और गिरवीकर्ता का ध्यान धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत यह नोटिस जारी करती है और आप सभी से 26.08.2021 तक रु. 25,19,076/- (पच्चीस लाख उन्नीस हजार छिहत्तर रुपये मात्र) तथा 27.08.2021 से ब्याज के साथ, भुगतान की तारीख तक सहमत संविदात्मक ब्याज दर के साथ, आकस्मिक व्यय, लागत और अन्य शुल्कों के साथ इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर का भुगतान करने का आह्वान करती है जिसमें विफल होने पर कंपनी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) में परिकल्पित अटैच करने, बेचने और/या सभी कार्यवाहियां करने के लिए बाध्य होगी और/या किसी आप सभी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष अन्य कानूनी कार्यवाही अपनाने के लिए बाध्य होगी।

यदि आपको इस नोटिस के जवाब में कोई अभ्यावेदन देना है, तो कृपया उसे अधिकृत अधिकारी, द वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 5बीसी-110, वरसिद्धि, तीसरी मंजिल, बाहरी रिंग रोड, सर्विस रोड, 3सरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कैयान नगर, बैंगलोर-560043 को मार्क करें ताकि हम समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। कृपया ध्यान दें कि यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति या स्थान को संबोधित किया जाता है तो इस नोटिस के जवाब में किए गए किसी भी अभ्यावेदन का जवाब नहीं देने के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।

अचल संपत्ति का विवरणः खाता संख्या 84, खसरा संख्या 299, रकबा 1.0190, हेक्टेयर (10190 वर्ग मीटर) असरवाली, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद में स्थित अचल संपत्ति का सम्पूर्ण भाग, और सीमाएँ : पूर्व मेंः खेत ओंकार सिंह और गाटा नंबर 298, पश्चिम मेंः रास्ता, उत्तर में : अनार देवी के खेत के बाद रास्ता, दक्षिण मेंः मौजम सिंह आदि का खेत।

चौधरी बलवंत सिंह जनकल्याण शिक्षा संस्थान ट्रस्ट द्वारा निष्पादित स्वामित्व विलेखों के जमा का ज्ञापन दिनांक 02.02.2018 को इसके सचिव/प्रबंधक श्री पंकज कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह द्वारा प्रतिनिधानित द्वारा किया गया।

नोटः टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 15 मार्च 2021 की मांग सूचना एतद्वारा वापस ली जाती है, इसलिए यह सूचना प्रकाशित की गयी।

दिनांकः 14.10.2021
स्थानः फिरोजाबाद

अधिकृत अधिकारी
वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालय : 33–35 त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली–110 003
कॉर्पोरेट कार्यालय : ए–39, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201307, भारत
टेलीफोन : +91 - 120 - 4031400 | फैक्स : +91 - 120 - 4031672
ई–मेल : investorrelations@nucleussoftware.com | वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

NUCLEUS SOFTWARE

सूचना

सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागू होने योग्य प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (सामूहिक तौर पर **"अधिनियम"**), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (**"सूचीबद्धता विनियम"**) एवं लागू होने योग्य अन्य कानूनों तथा विनियमों, यदि हो, किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या तात्कालिक प्रभाव से उसके पुनः अधिनियमन सहित, के अनुपालन में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ('कम्पनी') डाक मतपत्र सूचना दिनांक मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2021 ("डाक मतपत्र सूचना") में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग / रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से, सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छुक है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा आम बैठकों / ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22 / 2020 दिनांकित 15 जून, 2020 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 33 / 2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39 / 2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2021 दिनांकित 23 जून, 2021 ("एमसीए परिपत्रों") के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार

डाक मतपत्र सूचना सहित ई–वोटिंग से सम्बंधित निर्देश केवल ईमेल द्वारा बुधवार, 13 अक्टूबर, 2021 को उन सदस्यों को भेजा गया है जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों अथवा केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटेक") के साथ पंजीकृत है तथा जिनका नाम शुक्रवार, 8 अक्टूबर, 2021 ("कट–ऑफ तिथि") के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थियों की सूची में दर्ज है।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में इस सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति / असहमति का संचार रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा।

डाक मतपत्र सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nucleussoftware.com तथा केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की ई–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप डाक मतपत्र सूचना तथा ई–वोटिंग निर्देशों की सेवा नहीं की जा सकती है, वे केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर अपना ईमेल पता एवं मोबाईल नंबर अस्थाई तौर पर पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना एवं ई–वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ईमेल पता और मोबाईल नंबर कैप्चर करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में, सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं। ई–वोटिंग निर्देश प्राप्त करने के पश्चात्, कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए उपरोक्त सभी चरणों का पालन करें।

श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सीपी संख्या 13700) पार्टनर, मेसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएटस, कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा 108 एवं अन्य लागू होने योग्य प्रावधानों के साथ पठित संबंधित नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के मताधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि के अनुसार की जाएगी। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य व्यवहृत करना चाहिए।

ई–वोटिंग की अवधि बृहस्पतिवार, 14 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी तथा शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2021 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। ई–वोटिंग मॉड्यूल को केफिनटेक द्वारा इसके पश्चात् मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा तथा सदस्यों को उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा वोट की पुष्टि हो जाने के पश्चात्, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डाक मतपत्र का परिणाम मंगलवार, 16 नवम्बर, 2021 तक घोषित किया जाएगा। संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, तो कम्पनी द्वारा ई–वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2021 को पारित माना जाएगा।

डाक मतपत्र का परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.nucleussoftware.com तथा केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की ई–वोटिंग वेबसाइट अर्थात् https://evoting.kfintech.com/ पर उनकी घोषणा के शीघ्र पश्चात् प्रदर्शित किया जाएगा, तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात् बीएसई और एनएसई, को सूचित किया गया एवं उनकी संबंधित वेबसाइटों अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध कराया जाएगा।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, आप https://evoting.kfintech.com/ के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेशचन (एफएक्यू) एवं ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट से इस पते पर संपर्क कर सकते हैंः श्री सुरेश बाबू डी, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर बी प्लॉट नंबर 31 व 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032, ई–मेलः suresh.d@kfintech.com फोन नंबरः 1800-309-4001।

मंडल के आदेशानुसार
कृते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टस लिमिटेड
हस्ता./–
पूनम भसीन
कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान : नोएडा
दिनांक : 13 अक्टूबर 2021

JTL Infra Limited is among the largest manufacturers of pipes and tubes in the Sub-Continent, catering extensivety to the Indian markets while exporting to various Countries around the Globe. JTL Infra, a flagship Company of the Jagan Group, was incorporated in 1991. It manufactures electric resistance Welding (ERW) black steel tubes and pipes, black hollow sections, and structural steel that are widely used across several sectors like water, agriculture, automotive, consumer durables, engineering, and oil & gas, among others. The Company has a well-established sales and distribution management system and is present throughout India. JTL Infra is committed to strengthening technical expertise and working proactively with customers to develop innovative products with only the highest quality adherence.

JTL INFRA LTD.
Regd.Office : SCO 18-19, Sector 28C, Chandigarh-160002
CIN:L27106CH1991PLC011536
Email:finance@jtlinfra.com

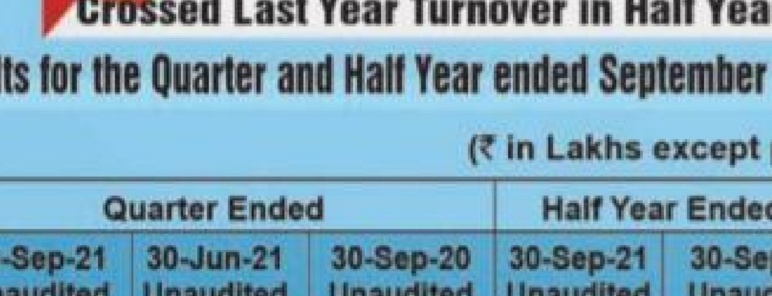

Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2021

(₹ in Lakhs except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30-Sep-21 Unaudited	30-Jun-21 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited
1	Total Revenue from Operations	26,322.78	18,089.19	8,038.80	44,411.97	13,218.05	44,036.86
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,793.71	1,075.89	383.74	2,869.60	551.15	2,702.73
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,793.71	1,075.89	383.74	2,869.60	551.15	2,702.73
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,295.17	805.11	287.16	2,100.28	412.41	2,006.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,295.26	805.11	287.16	2,100.37	412.41	2,005.98
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10 each)	1,060.74	1,060.74	1,000.74	1,060.74	1,000.74	1,060.74
7	Reserves (excluding Revolution Reserves)	-	-	-	-	-	8,629.78
8	Earnings per Equity Share of Rs. 10 each						
	Basic in Rs.	12.21	7.59	2.71	19.80	3.89	18.91
	Diluted in Rs.	12.21	7.59	2.71	19.80	3.89	18.91

Notes:
The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly unaudited financial results of September 30, 2021 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regultations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on Stock Exchange website at www.bseindia.com, www.msei.in and Company's website at www.jtlinfra.com

Place: Chandigarh
Date : October 12, 2021

for JTL Infra Limited
Sd/-
Dhruv Singla
Whole Time Director and CFO
DIN: 02837754